न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–83/19 (2019/00217) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–रहमत बानु उर्फ मुन्नी पत्नि शाहबुद्दीन नीलगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर

वादीया

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1–जाकिर हुसैन अधिवक्ता वादीया

निर्णय दिनांक 04/02/2020

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीया एवं अन्य खातेदारान के सामलाती अधिकारो एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात मे खाता संख्या 556 में अंकित आराजी संख्या 2659 रकबा 0.03 है0 गैमुआचा में वादीया का 1/10 हिस्सा है, इसी तरह खाता संख्या 555 में अंकित आराजी संख्या 4433/2667 रकबा 0.12 है0 जिसमें वादीया का 1/5 हिस्सा है, इसी तरह खाता संख्या 626 में अंकित आराजी संख्या 2666 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 4427/2662 रकबा 0.09 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 है0 जो सम्पूर्ण वादीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। इसी तरह ग्राम सगरेव में स्थित खाता संख्या 514 में अंकित आराजी संख्या 2425 रकबा 0.84 है0, आराजी संख्या 2426 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 2427 रकबा 0.07 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.08 है0 स्थित है जिसमे वादीया 1/5 हिस्सा है, प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी की नकले वादपत्र के साथ पेश की है। वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित वादग्रस्त कृषि आराजियात में वादीया के पति की मृत्यु के पश्चात् विरासत का नामान्तरण दर्ज करते समय पटवार हल्का रायपुर ने ग्राम रायपुर की खाता संख्या 555, 626, 556 में वादीया के सही नाम को जमाबन्दी में दर्ज नही कर ग्रामीण परिवेश में घर पर प्रचलित नाम मुन्नी दर्ज कर दिया जबकि वादीया का सही नाम रहमत बानु है ग्राम सगरेव के खाता संख्या 514 में प0ह0 सगरेव द्वारा वादीया का नाम रहमत बानू सही नाम अकिंत है। बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की इन्द्राज दुरस्ती की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जाए कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 555, 626, 556 मे वादीया का नाम मुन्नी के बजाय रहमत बानु दर्ज करने की इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री जारी फरमाई जाकर तदानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 23/10/2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नाटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित होकर पत्रावली पर यह टिप्पणी अंकित की गई कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हित प्रभावित नही हो रहा है वाद को स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया तो पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त प्रकरण में कोई हित प्रभावित नही है चुकि वादीया के नाम उक्त भूमि वादपत्र के अनुसार विरासत से प्राप्त हुई है ओर वादीया के नाम पटवार सर्कल सगरेव में रहमत बानु ही दर्ज है जबकि ग्राम रायपुर की खाता संख्या 555, 626, 556 में वादीया का बोलता नाम मुन्नी दर्ज कर दिया मुन्नी के बजाय रहमत बानु पत्नि शहाबुद्वीन नीलगर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर उन्हें हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करने की घोषणात्मक डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित हैं।

आदेश

अतः ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 556 में अंकित आराजी संख्या 2659 रकबा 0.03 है0 गैमुआचा में वादीया का 1/10 हिस्सा है, इसी तरह खाता संख्या 555 में अंकित आराजी संख्या 4433/2667 रकबा 0.12 है0, में वादी संयुक्त खातेदार है तथा इसी तरह खाता संख्या 626 में अंकित आराजी संख्या 2666 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 4427/2662 रकबा 0.09 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 है0 जो सम्पूर्ण वादीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसमें वादीया का नाम मुन्नी बेवा शाबुद्वीन नीलगर के बजाय रहमत बानु बेवा शाबुद्वीन नीलगर का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता हैं। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4.2.2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाडा (राज)

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–83/19 (2019/00217) वाद पत्र

अनवान

1–रहमत बानु उर्फ मुन्नी पत्नि शाहबुद्वीन नीलगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर

वादीया

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 556 में अंकित आराजी संख्या 2659 रकबा 0.03 है0 गैमुआचा में वादीया का 1/10 हिस्सा है, इसी तरह खाता संख्या 555 में अंकित आराजी संख्या 4433/2667 रकबा 0.12 है0, में वादी संयुक्त खातेदार है तथा इसी तरह खाता संख्या 626 में अंकित आराजी संख्या 2666 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 4427/2662 रकबा 0.09 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 है0 जो सम्पूर्ण वादीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसमें वादीया का नाम मुन्नी बेवा शाबुद्वीन नीलगर के बजाय रहमत बानु बेवा शाबुद्वीन नीलगर का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता हैं। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4.2.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda

Date: 2020.02.07 17:33:08 IST

Reason: SelfAttested

Location: